डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लुम्बा पुत्र गुमना 2. गुणेशा पुत्र गुमना 3. भगा पुत्र गुमना 4. खुमा पुत्र गुमना 5. गवरी पत्नी गुमना जातियान जाट निवासीगण केकड़ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. गोरधन 2. खेमा 3. लालाराम पि. पुनमा 4. हेमा पुत्र वीरमा 5. उमेदा 6. खींया 7. भेरा 8. रूपा 9. राहू पि. मगना 10. रामू पत्नी मगना 11. तिलोकचंद 12. बाबूराम 13. रामचंद 14. हुकमाराम पि. नवला 15. चम्पा पत्नी नवला जाति जाट निवासी केकड़ तहसील सेड़वा 16. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा बामड़ला 17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

मुकदमा नम्बर : 87 / 2022
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act

लुम्बा वगैरा बनाम गोरधन वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री करनाराम कड़वासरा मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण की और से वकील श्री मेहराराम सारण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को मौजा–सियोलो का डेर, पटवार हल्का–बामड़ला के खसरा नम्बर 517 रकबा 0.0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 619 / 518 रकबा 7.6890 हैक्टर, खसरा नम्बर 674 / 618 रकबा 16.6649 हैक्टर कुल रकबा 24.4429 हैक्टर भूमि में 1 / 5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी हो। तहसीलदार सेड़वा उक्त आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर जमाबन्दी में अंकन करे। लीज मुबलिक बाबत पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें। इस मुकदमें के मयं सूद व शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 22/06/22 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
SDO सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 87/2022

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लुम्बा पुत्र गुमना 2. गुणेशा पुत्र गुमना 3. भगा पुत्र गुमना 4. खुमा पुत्र गुमना 5. गवरी पत्नी गुमना जातियान जाट निवासीगण केकड़ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. गोरधन 2. खेमा 3. लालाराम पि. पुनमा 4. हेमा पुत्र वीरमा 5. उमेदा 6. खींया 7. भेरा 8. रूपा 9. राहू पि. मगना 10. रामू पत्नी मगना 11. तिलोकचंद 12. बाबूराम 13. रामचंद 14. हुकमाराम पि. नवला 15. चम्पा पत्नी नवला जाति जाट निवासी केकड़ तहसील सेड़वा 16. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा बामड़ला 17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री करनाराम कड़वासरा**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री मेहराराम**

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय दिनांक :– 22.06.2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश कर निवेदन किया गया कि हम वादीगण के पिता/पति स्व. गुमना सन 2012 में फौत हो गये थे। जिनके फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम श्रेणी के हम वादीगण कानूनी हक पानें के वारिश थे व कानूनी अधिकारी है। ग्राम–केकड़ के खसरा नम्बर 597, 598, 603, 612 व ग्राम–मोती की बेरी, पटवार हल्का केकड़ खसरा नम्बर 514 भूमि में स्व. मोटा के वारिश पुनमा, वीरमा, मगना, नवला, गुमना नाम दर्ज हुई। जो संलग्न जमाबन्दी से स्पष्ट है। लेकिन ग्राम–सियोलो का डेर के खसरा नम्बर 517 रकबा 0.0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 619/518 रकबा 7.6890 हैक्टर, खसरा नम्बर 674/618 रकबा 16.6649 हैक्टर कुल रकबा 24.4429 हैक्टर में सेटलमेन्ट वालो नें लिपिकीय भूल से वादीगण को बिना सुनवाई किये हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया तथा हमें हमारे हक हकूको से वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारीयो का कानूनी हक व अधिकार नहीं था। वादीगण के पिता/पति स्व. गुमनाराम के फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में हम वादीगण का मालिकाना हक हकूक होने व मौके पर कब्जे काश्त होने से वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से के खातेदारी घोषणा पाने के हकदार होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा की जावें तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के मालिकाना हक हकूक व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य किसी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

व। तथा न ही प्रतिवादीगण जबरन वादीगण को बेदखल करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें तथा वादपत्र स्वीकार फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की और से वकील श्री मेहराराम सारण नें वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश किया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी घोषणा की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई वादीगण के अधिवक्ता नें वादपत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण के पिता/पति स्व. गुमनाराम के फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में हम वादीगण का मालिकाना हक हकूक होने से व मौके पर कब्जे काश्त होने से व ग्राम–मोतीबेरी के खसरा नम्बर 514 में वादीगण का नाम दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से के खातेदारी घोषणा की जावें। बहस के अंत में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो पर अध्ययन अवलोकन किया उभय पक्ष द्वारा बहस में दिए गए तर्को पर गहनता से मनन किया। उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण अपने वाद को साक्ष्य सबुतो में साबित करने में सफल रहने से व प्रतिवादीगण की सहमति होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा– सियोलो का डेर, पटवार हल्का–बामड़ला के खसरा नम्बर 517 रकबा 0.0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 619/518 रकबा 7.6890 हैक्टर, खसरा नम्बर 674/618 रकबा 16.6649 हैक्टर कुल रकबा 24.4429 हैक्टर भूमि में 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। तथा तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested